जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

बिहार सरकार

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
An ISO 9001:2008 Certified Agency
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

संचिका संख्या - SHSB/PM/463/2014-- 8464

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक -सह-
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

पटना, दिनांक 23.12.2015

विषय : सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय/स्थानीय स्तर पर प्रकाशित निविदा की विहित प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में।

प्रसंग : स्वास्थ्य विभाग का पत्रांक 740(12) दिनांक 05.11.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभाग के उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम द्वारा औषधियों की आपूर्ति प्रारंभ किये जाने तक सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की निरंतरता को बनाये रखने हेतु अंतरिम व्यवस्था के तहत निविदा प्रकाशित कर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

2. दिनांक 22.12.2015 को राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक मात्र 18 जिलों द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर आंशिक दवाओं का दर अनुमोदन किया गया है। स्थानीय स्तर पर आवश्यक दवाओं का दर अनुमोदन नहीं होने के कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवाएँ मुहैया कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है। मुख्यालय स्तर से स्पष्ट निदेश दिये जाने के बावजूद ऐसी स्थिति उत्पन्न होना चिन्ताजनक है, जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से आप उत्तरदायी है।

3. उक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि BMSICL से दवाओं की आपूर्ति प्रारंभ होने तक सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निविदा प्रकाशित करते हुये अथवा प्रकाशित निविदा का विहित नियमानुसार दर एवं आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण तथा स्वास्थ्य विभाग के ज्ञापांक 12/प०-9-45/2015/658(12) दिनांक 30.10.2015 में दवाओं की गुणवत्ता जाँच के संबंध में दिये गये निदेशों को अपनाते हुये सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति/उपलब्धता शीघ्र की जाय। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आप पर उत्तरदायित्व विभाग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

विश्वासभाजन